1		Governme e-Registra	nt of Rajasthan tion Fee Receipt		FIRST COPY
SRO Unique ID S R Location Receipt No Name Of Seller Name Of Buyer Type of Documen ACC Reference	NONSH/SHASHI RAJAWATI	JAIPUR	Receipt Date	24-MAR-2025 18:16	
Pald Fees Particulars Registration Fees Copy of Fees Late Fees Other Charges Total Amount Grand Total (Rupees Six Hur Statutory Alert :		Amount (Rs.) ₹ 0 ₹ 0 ₹ 0 ₹ 0 ₹ 600 ₹ 610 thould be verified at w	Particulars CSI Record Inspection Fees Commission Fees Service Charges	screpancy in the details o	Amount (Rs.) ₹ 0 ₹ 600 ₹ 0 ₹ 10
		Governme	ent of Rajasthan ation Fee Receipt		SECOND CO
RO Unique ID R Location eceipt No ame Of Seller	2025000999R JODHPUR-II RJ1812940838344 GARVIT AGARWAL ADV	1	Receipt Date	24-MAR-2025 18:10	5

RANA RAM AND ORS Name Of Buyer Others - Search Type of Document NONSH/SHASHI RAJAWAT/JAIPUR ACC Reference Stock Holding Corporation of India Limited Paid Fees Amount (Rs.) Particulars Amount (Rs.) Particulars 205 CSI 20 ₹ 600 **Registration Fees Record Inspection Fees** ₹0 20 Copy of Fees **Commission Fees** 20 Late Fees 205 ₹10 Other Charges ₹ 600 Service Charges **Total Amount** ₹610 **Grand Total** (Rupees Six Hundred Ten Only) || 医膝腔 Statutory Alert : The authenticity of this receipt should be verified at www.shcilestamp.com . Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid.



GARVIT AGARWAL Advocate Rajasthan High Court Jaipur

Dated: 24.03.2025

SEARCH REPORT

This search report is carried out on the joint request of Shri Bhavarlal, Shri Rana Ram, Shri Manna Ram, Shri Teja Ram and Smt. Chuki for exemption of their project "Shri Ganpati Nagar-I" before Rajasthan Real Estate Regulatory Authority and report is submitted herein under. This search report is for the property, as mentioned below in schedule of property.

<u>Name of the Owner</u> – Shri Bhavarlal, Shri Rana Ram, Shri Manna Ram, Shri Tejaram and Smt. Chuki.

Nature of Property- Plotted Residential Scheme.

<u>Purpose</u> – Exemption of Project situated at Khasra No. 347/2 (New Khasra No. 347/5), Village-Banar, Tehsil and District-Jodhpur, Rajasthan admeasuring 7 Bigha 10 Biswa or 12140 Sq. Mtr. (Hereinafter referred to as "Project Land") before Rajasthan Real Estate Regulatory Authority, Jaipur.

Schedule of Immovable Property-

S. No.	Owner Name	Khasra					
1.		Khasra No. 347/2 (New Khasra No. 347/5), Village-Banar, Tehsil and District-Jodhpur, Rajasthan admeasuring 7 Bigha 10 Biswa or 12140 Sq. Mtr.					

I, Garvit Agarwal, Advocate have caused necessary searches for the period of 12 years (According to the available record) of which the records kept at the office of the Sub-Registrar, Jodhpur-II vide Receipt No. RJ1812940838344 dated 24.03.2025 and have inspected all other relevant documents in respect of the aforesaid property.

My Search Report is as follows:



- That initially Khasra No. 347/2, Village-Banar, Tehsil and District-Jodhpur, Rajasthan admeasuring 15 Bigha in the name of Shri Bhavarlal, Shri Rana Ram, Shri Manna Ram, Shri Tejaram and Smt. Chuki evident from Jamabandi of Samvad 2060-63.
- 2. Thereafter, Shri Bhavarlal, Shri Rana Ram, Shri Manna Ram, Shri Tejaram and Smt. Chuki applied for conversion of 7-10 Bigha out of 15 Bigha of Khasra No. 347/2, Village-Banar, Tehsil and District-Jodhpur, Rajasthan from agricultural use to non-agricultural use before Jodhpur Development Authority, Jodhpur. Accordingly, Jodhpur Development Authority, Jodhpur vide Order dated 09.01.2023 bearing no. LU2012/JOD/2022-23/101596 was passed under Section 90-A of Rajasthan Land Revenue Act, 1956 in favour of Shri Bhavarlal, Shri Rana Ram, Shri Manna Ram, Shri Tejaram and Smt. Chuki.
- Accordingly, mutation in the name of Jodhpur Development Authority, Jodhpur was opened and land bearing Khasra No. 347/2, Village-Uchiyarda, Tehsil and District-Jodhpur, Rajasthan was changed to Khasra No. 347/5 admeasuring 7-10 Bigha evident from Mutation Letter.
- 4. Thereafter, maps were approved by Jodhpur Development Authority, Jodhpur vide Minutes of Meeting dated 28.02.2023 for aforesaid scheme.
- 5. Thereafter, Jodhpur Development Authority, Jodhpur vide Letter dated 29.01.2025 issued the completion certificate for the said project releasing 12.5% of mortgaged plots i.e. Plot No. 05, 16, 19, 20, 33, 48, 61, 67, 68 admeasuring 1073.61 Sq. Yards were released by Jodhpur Development Authority, Jodhpur.

ULC Applicability:

Urban Land Ceiling act is **Not Applicable** in state of Rajasthan and hence no clearance under ULC is required to be obtained.


| hereby certify that the said property is free from all sorts of encumbrances, loanable and mortgagable on the basis of available property records.

The receipt for the relevant searches is enclosed herewith.

Jaipur Date: 24.03.2025

Add: B-23, Yamuna Badi Tonk Road, JAIPUR 302015 (Raj.) d Garvit Agarwal Advocate

केवल नकल के उपयोग के लिए



चेवन ((खतौनी)	1			1			कृष	क द्वारा	सम्वत्	के लिए	सम्वत्	के लिए	सम्वत्	के लिए	-
सं	ख्या पुरानी	भू–धारकों का नाम	काश्तकार का नाम मय पिता का नाम, जाति तथा निवास–स्थान के पते सहित एवं भू–धृत्ति का स्वरूप	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा (भूमि) वर्गीकरण	सिंचाई के स्रोत	दर सहित ब्यौरा	रकम	अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित नामान्तरकरण के आदेशों की संख्या एवं दिनाङ्क	विशिष्टियां	भूमी के व्यौरे सहित अनुप्रमाणित नामान्तरकरण के आदेशों की संख्या एवं दिनाङ्क	भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है	अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित नामान्तरकरण के आदेशों की संख्या एवं दिनाङ्क	मूमि के व्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में मूमि अंतरित की गई है	Ne I
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
294	355	2150	भवरलगन रागाराम मन्नाराम नेजाराम पि. बुद्धाम न्युर्ठीरमी	347/2	15-0	बा	-	-	6.60			/				
		()())	fy. बुद्धा मा - युर्धा देशी	01	15-0	9JI			6.60						/	
			ब्रमा बुडाराम ज्ञाति त्री <i>न ह्या. दे</i> ट्रन्स्गा नाणा [.] है । 1239	-			0									
			नामा मि 1239		mi	n J							/			
			τ	र गटवा ी (T)	णयत 1975 -		5	रमारिश	त प्रति म०उ	लिपि					
				4	्यांत रा	ાગુર		P-3	5 क्रमांक	दिन	iक.24	11/20				
T										•						
	-								M							
×																
रज्ञी																





राजस्थान सरकार जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जोन संख्या–1)

क्रमांक : LU2012/JOD/2022-23/101596

विषय :--

रिष कृत

IR IFI

TFE

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

<u>—ः आदेशः —</u>

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं:--

श्री भंवरलाल, श्री राणाराम, श्री मन्नाराम, श्री तेजाराम पि. श्री बुद्धाराम एवं श्रीमती चुकीदेवी बेवा बुद्धाराम, जातियान् भील, निवासीगण भीलों का बास, बनाड़, जोधपुर। (आवेदकगण/खातेदार)

(1) ऊपर नामित आवेदकों ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन निम्नलिखित भूमि का आवासीय उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है:--

	कुल	1.21401 हैक्टेयर		
1	राजस्व ग्राम बनाड़, तहसील व जिला जोधपुर	उपरोक्तानुसार	347/2	कुल रकबा 15 बीघा में से 7–10 बीघा
क्र.सं.	ग्राम, तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हैक्टे.)

- (2) आवेदकों ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की-मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
- (3) यह कि मैंने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तद्धीन बनाथे गये नियमों के उपबंधों के अनुगार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग करने हेतु अनुझा प्रदान करने के लिए स्वीकार विकास विज्ञा है।
- (4) अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त भूमि पर आवेदकों के अभिधृति अ कारों को उक्त भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदकों द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय आधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आबंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।
- (5) आवेदकों द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथा विहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आबंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर-कृत्वि प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।
- (6) इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगल विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और रातों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

्यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 09/01/2023 को पारित

29/4/23

🔘 🐌 Scanned with OKEN Scanner

प्राधिकृत अधिकारी उपायुक्त (जोन संख्या--1) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर उपासुक्त (जोग-1) ओधापुर विक्तास प्राधिकरण जोधपुर

न्तेः	राधाम्सरकरण राखस्डर ग्राय धन्त. भन्त. भन्त. वर्षमान वयावन्दी (बतीनी) में गुढि किये जाने के लिये प्रस्वापित प्रविष्टि			जमाबन्दी में प्रतिस्वापित किये जाने के	ि लिये प्र 	स्यापित नई	प्रांताष्ट 	<u>,</u>	- सहित रजित वित्त प्रजित वित्त प्रजित वित्त प्रोचन वरकरण भी	मिसम संस्था	म रिटामे, हमल वो की रिपोर्ट	
د مستعمل الله المستعمل الله المستعمل المستقل المست	4 15-00	20 प्र 13 प्र मिम) वर्त्ताकरण	0 व राजस्य मा समात	विधित्र्यां महिन बाग्उत्तार मा नाम मेवरलाल, राठााराम, मन्न तेजाराम, पि. खुद्दाराम - युद्धीदेवी खेवा खुद्दाराम जाति भील सा. देख रवातेदार कि. प्र	जीवपुर	in	7.10	दिसं के के बादा (ममि) वर्गीकरण		उग्नमे जोह् कमारु LUD 101596 के एव रहशीव के आदेवान 135 दिनाक पालना मे प्रालना मे प्रालना मे	012/11 150/17 150/17 11-01- 717/1-	म सा. 100 /201 9-01-2 राजस्व 2023 कायर कायर

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर



रेलये अरपताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर—342001 email-jdajodlipur@yahoo.com पेव—साईट jodhpurjda org noon to mar.26129940000000

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2023/3550

विनांक:- 28/02/2023

--:कार्यवाही विवरण:--

एजेण्डा संख्या ०१ :--

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकवा	प्रयोजन				
27.02.2023	जोन–1	डोलिया	119/2	04.07.10 वीघा	नॉन पाल्यूटेड				
			,		हैण्डीकाफट इण्डस्ट्रीज				
आवेदक	श्री देमारा	म पुत्र श्री रघुना	थराम						
विषयः—	राजस्व ग्र	ाम डोलिया के	खसरा संख्या 119	/2 रकवा 04.07.	10 वीघा में नॉन पाल्यूटेड				
	हैण्टीकाप	ट इग्रदस्टीत एव	त्रल भरवण्ड प्रयोज	नार्थ अनमोदन वाव	त ।				
निर्णयः—	समिति ट	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-							
	निम्नतिगि	वन पार्नी के साथ	। ले <u>-</u> आजट प्लान	अनमोदित किये ज	नि का निणय लिया गया-				
	1 2110	ोटिन भूमि को र	ग्मर्पित रास्ते से पॅ	हच मार्ग उपलब्ध	हा रहा ह उक्त रास्त क				
	चौर	डाई राजस्व रिका	र्ड अनुसार 60 फी	ट की सुनिष्चितता	जोन स्तर पर की जावें।				
	2. आवे	वेदित भूमि को उ	पलब्ध पहुंच माग	दाक्षण ।दशा म क किसे जाने के जां	टाण रास्ते से लिंक हो रह बंद में जोन जणरातन दार				
	8	उक्त रास्ते को 2	24 माटर निधारित	ाकय जान क स नन जना जानी था	बंध में जोन उपायुक्त द्वार प्रेसूचना दिनांक 10.08.2020				
	नग	रीय विकास विभ	ग राजस्थान सरव अन्तरमान आपन्ति २	गरं धारा जारा जार गमंत्रण की कार्यवा	त्री जोन स्तर पर की जावें				
	क	के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावें। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। 3. प्रार्थी द्वारा मिश्रित भू–उपयोग में नॉनपॉल्यूटिंग हैण्डीक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज प्रयोजनार्थ							
	आप								
			ਟੈ। ਪਰ: ਪਾਸ–ਧ	ास भविष्य में होन	विलि विकसि क दृष्टिग				
	আন্ত মহ	भा देत पार्थी की	ो भमि में न्यनतम	9 मीटर का सुरक्ष	ा बफर सैटबैक के रूप र				
			न किया जाते।						
			E 12 202'	2 को जारी आदेश	के बिन्दु संख्या 03 के क				
	में में	नियमानसार राशि	ा जोन स्तर पर व	सूल की जा कर त	ले–आउट प्लान जारी किय				
		\ .							
			पट्टा जारी करने	से पूर्व आवेदित प्र	योजनार्थ ओद्योगिक इकाः जेन प्रेल्यानेन हैएरीकाफ				
		···	नो जन्मित्रेणन गा	प्त कर पटट पर	קוק-עומענט פיטואזוענ				
			का जन्नेख किया	जाना जान स्तर	पर सानाश्यत ।कथा जाव।				
			मिनेगन दिन	TTE 20.05 2016 Q	22.11.2010 UNITIK Z C				
`	से	कम क्षेत्रफल पर	र नियमानुसार राषि	रा ला जाव अथवा	5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र क				
4	प्राय	वधान किया जावें		करण सम्बद्धा गण	ामनिक वाद अवाप्ति ए				
	7. उद	त्त प्रस्तावित भू	में से सम्बान्धत	अन्य राजस्य प्ररा	ासनिक, वाद अवाप्ति, ए होगी। प्रार्थी से इस बाबत जरी है और ना ही न्यायालय				
		\sim	Y A THE ATT	TTJ chie Iddie					
	शाप	गथ–पत्र लिया ज	10 10 प्ररगगरा गूर राज है। ट्रम बाबन	जोन स्तर पर शपध	य-पत्र लेकर ही पट्टा जार				
- printe print		ज्या जावें। जावित भूमि पर	निर्माण कार्य कर	रवाने से पूर्व प्रचरि	लेत भवन विनियम अनुसा करवाने होंगे।				
	8. प्रर ज	त्तापरा नूर्ग पर हापर विकास पा	विमाण कांध प्र धिकरण से भवन म	गानचित्र अनुमोदित	करवाने होंगे।				
	<u></u> ज	1491 144/11 31		Y	l				

एजेण्डा संख्या 02 :--

-*

· ma

13

.

4

ç

艷

4

बैठक दिनांक	जोन	राजस्य ग्राग	खरारा रांख्या	रकवा	प्रयोजन				
27.02.2023	जोन–1	डोलिया	119 / 1	01.01.12 यीघा	नॉन पाल्यूटेड हैण्डीकाफ्ट इण्डस्ट्रीज				
आवेदक		श्री देगाराम पुत्र श्री रघुनाधराम							
विषयः—	हैण्डीकाप	राजरव ग्राम डोलिया के खरारा संख्या 119/1 रकवा 01.01.12 वीघा में नॉन पाल्यूटेड हैण्डीकापट इण्डरट्रीज एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन वावत्।							
निर्णयः	निम्नलिस्टि 1. आवे 2. आवे 2. आवे हे र नगा के पि 3. प्रार्थ 3. प्रार्थ 4. राज 4. राज एख 4. राज 5. आवे 5. आवे 5. आवे 7. उक्व मार्गि श्राप्य 6. राज स्प्राप्य 7. उक्व मार्गि श्राप्य 1. आवे स्पुरुख स्पुरुख 4. राज स्पुरुख स्पुरुख 4. राज स्पुरुख	वत शर्तो के साथ वित भूमि को स वित भूमि को स उक्त रास्ते को 2 उक्त रास्ते को 2 रीय विकास विभा विन्दु संख्या 01 के विन्दु संख्या 1 किया प्रतिथित के भूमि का प संबंधित विभाग उस्ट्रीज प्रयोजन त्य सरकार द्वारा कम क्षेत्रफल पर व्य सरकार द्वारा कम क्षेत्रफल पर व्य सरकार द्वारा कम क्षेत्रफल पर वा जावें विवाद लम्बि या जावें 1 नावित भमि पर	ले–आउट प्लान मिर्पित रारते से पॅ र्ड अनुसार 60 फी पलब्ध पॅहुच मार्ग 24 मीटर निर्धारित में राजस्थान सरक अनुसार आपत्ति अ त प्रकरण को आग भू–उपयोग में नॉन है। अतः आस–प मू से जास जावें। दिनांक 15.12.2022 जोन स्तर पर वर्ज त किया जावें। दिनांक 15.12.2022 जोन स्तर पर वर्ज से रजिस्ट्रेशन प्राप् का उल्लेख किया जारी परिपत्र दिनां। नियमानुसार राशि मे से सम्बन्धित द समस्त जिम्मेदारी वें कि प्रश्नगत भूमि त है। इस बाबत् ज	अनुमोदित किये ज हुच मार्ग उपलब्ध ट की सुनिश्चितता दक्षिण दिशा में क किये जाने के संक किये जाने के संक तिरुये जाने को कार्यवाध मंत्रण की कार्यवाध मंत्रण की कार्यवा श्र भविष्य में होने 9 मीटर का सुरक्ष १ को जारी आदेश सूल की जा कर ले से पूर्व आवेदित प्र स्त कर, पट्टे पर जाना जोन स्तर प् क 30.05.2016 व 1 ली जावें अथवा अन्य राजस्व प्रशा प्रार्थी की स्वयं की ने पर कोई विवाद न् जोन स्तर पर शपथ	ाफ्ट इण्डस्ट्रीज प्रयाजनाथ वाले विकास के दृष्टिगत । बफर सैटबैक के रूप में के बिन्दु संख्या 03 के कम –आउट प्लान जारी किय योजनार्थ ओद्योगिक इकाई नोन–पोल्यूटेड हैण्डीक्राफ्ट । योजनार्थ ओद्योगिक इकाई नोन–पोल्यूटेड हैण्डीक्राफ्ट । योजनार्थ ओद्योगिक इकाई नात भवन विनियम अनुसाल नत भवन विनियम अनुसाल				

एजण्डा संख्या	03							
बैठक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन			
दिनांक								
27.02.2023	जोन-1	डोलिया	119	03.08.00 बीघा	नॉन पाल्यूटेड			
					हैण्डीकाफ्ट इण्डस्ट्रीज			
आवेदक	श्री देमाराम पुत्र श्री रघुनाथराम							
विषयः—	राजस्व ग्र	ाम डोलिया के	खसरा संख्या 11	19 रकबा 03.08.00) बीघा में नॉन पाल्यूटेड			
	हैण्डीकाप	ट इण्डस्ट्रीज एव	ञ्ल भूखण्ड प्रयोज	नार्थ अनुमोदन बाब	त् ।			
निर्णयः–	समिति दा	रा एजेण्डा व पत्र	ावली का अवलोक	न किया गया। समि	ति द्वारा बाद विचार–विमर्श			
	निम्नलिरि	निम्नलिखित शर्तो के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-						
Longer and the second s			£		Q			
					-			

2

C:\Users\Pc\Dropbox\Actp Sir\Layout Plan Meeting Minutes 27-02-2023 Zone 1 Updated 28-02-23 Docx

winder under state of the state	1. आवेदित भूगि को समर्पित सरते से पेंहुव मार्ग उपलब्ध हो रहा है उक्त सरते की
	1. आविदित भूमि का रागापत राश्त रा पहुंच नान उपलब्ध को रहा है उपने राज की जाते ।
	ने जीवायर गूनि के जावें। चौडाई राजरव रिकार्ड अनुसार 60 फीट की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें।
	2. आवेदित भूमि को उपलब्ध पॅहुच मार्ग दक्षिण दिशा में कटाण रारते से लिंक हो रहा
	है जक्त रारते को 24 मीटर निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा
	नगरीय विकास विभाग राजरथान सरकार द्वारा जारी अधिरावना दिनांक 10.08.2020
	के विन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन रत्तर पर की जावें।
	आपत्ति पाप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।
	3 पार्थी द्वारा गिश्रित भू-उपयोग में नॉनपॉल्युटिंग हैण्डीक्राफ्ट इण्डरट्रीज प्रयोजनाथे
	आतेवन किया गया है। अतः आस-पारा भविष्य में होने वाले विकास के दृष्टिगत
	सुरक्षा हेतु प्रार्थी की भूगि में न्यूनतम 9 मीटर का सुरक्षा वफर सैटवैक के रूप में
	रुखा जाना रानिश्चित किया जायें।
	 राज्य रारकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के विन्दु संख्या 03 के कम
	में नियमानुसार राशि जोन रतर पर वसूल की जा कर लै-आउट प्लान जारी किया
	जाये।
	े कार्यात्र के मार्ट के मार्ट के मार्ट के
	 आवंदित भूमि का पट्टा जारा करने रा पूर्व आवंदित प्रयोजनाथ आवानव रक्षेत्र का रांबंधित विभाग से रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर, पट्टे पर नोन–पोल्यूटेड हैण्डीक्राफ्ट
	को संबोधत विमाग से राजस्ट्रशन प्राप्त कर, ५८८ पर मान महिरूठठ किया जावे। इण्डस्ट्रीज प्रयोजन का उल्लेख किया जाना जोन रतर पर सुनिश्चित किया जावे।
	इण्डरट्राज प्रयोजन की उल्लेख किया जाना जान रतर पर जुनारखत किया यह
	6. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0
	रे कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का
	प्रावधान किया जावें।
	7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं
	मालिकाना हुक की समरत जिम्मेदारी पार्थी की ख़यू की होगी। प्रार्थी से इस वीवत्
	भाषा-पत्र लिए। जातें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय
	में कोई विवाद लम्वित है। इस वावत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी
	किया जातें।
	8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार
	जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
	טוואיז אואיז אואיז אואיז איז איז איז איז איז איז איז איז איז

एजेण्डा संख्या ०४ :--

Astila

1

04 :									
जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकवा	प्रयोजन					
				0					
जोन-1	डोलिया	१२४ का पार्ट		आवासीय योजना					
			वर्गमीटर						
श्री कालूर	श्री कालराम पत्र श्री जेताराम जरिये रजिस्टर्ड आम–मुख्त्यार श्री दिनेश भण्डारी पुत्र स्व.								
की गाउँग	शी गाउँच मल भएतारी								
राजस्व ग्राम बासनी डोलिया के खसरा संख्या 124 का पार्ट रकवा 21693.78 वर्गमीटर में									
आतासीय योजना प्रयोजनार्थ अनमोदन वावत।									
च्छिति त्यूज एत्तेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श									
निम्नलिखित पूर्ति उपरान्त संशोधित मानचित्र प्राप्त कर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत									
किरो जाने	किने जाने का निर्णय लिया गया:-								
1 भारत	टिन भूमि के परि	रेचम में स्थित राज	रख मार्ग को 24 म	ीटर निर्धारित किये जाने के					
	त में जोन जगार	कत दारा नगरीय	विकास विभाग र	ाजस्थान सरकार द्वारा जारी					
राष	व न जान उपापु	10.08.2020 के e	ोन्द संख्या ०१ अ	नसार आपत्ति आमंत्रण की					
आह	शिवना विनाय	10.08.2020 पर 19	13 (104) 01 -	3					
कार	विहा जान स्तर		ग मकिमा भागनाने	टग संगोधित 90-क आदेश					
2. आदे	वित क्षेत्रफल अ	नुसार नियमानुसार	र प्राक्या अपनास	St theman on the share					
जोन	न स्तर पर जारी	ाकया जाव।		्रागोनन् / कपितमेंत गागत					
3. आदे	दित भूमि के प	रिचम दिशा में	रथत योजना क	अनुमादन/कामटनट बावत्					
टिप्पणी जोन स्तर से प्राप्त की जावें।									
	जोन जोन–1 श्री कालुर श्री पारस राजस्व ग्र आवासीय समिति ह निम्नलिखि किये जान 1. आवे संबंध कार 2. आवे जोन 3. आवे	जोन राजस्व ग्राम जोन-1 डोलिया श्री कालुराम पुत्र श्री जेता श्री पारस मल भण्डारी राजस्व ग्राम वासनी डोलि आवासीय योजना प्रयोजन समिति द्वारा एजेण्डा व निम्नलिखित पूर्ति उपरान्त किये जाने का निर्णय लिय 1. आवेदित भूमि के परि संबंध में जोन उपाय् अधिसूचना दिनांक कार्यवाही जोन स्तर 2. आवेदित क्षेत्रफल अ जोन स्तर पर जारी 3. आवेदित भूमि के प	जोन राजस्व ग्राम खसरा संख्या जोन-1 डोलिया 124 का पार्ट श्री कालुराम पुत्र श्री जेताराम जरिये रजिस्त श्री पारस मल भण्डारी राजस्व ग्राम वासनी डोलिया के खसरा संख्य आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन वावत समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का द निम्नलिखित पूर्ति उपरान्त संशोधित मानचित्र किये जाने का निर्णय लिया गया: 1. आवेदित भूमि के पश्चिम में स्थित राज संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के ति कार्यवाही जोन स्तर पर की जावें। 2. आवेदित क्षेत्रफल अनुसार नियमानुसान जोन स्तर पर जारी किया जावें। 3. आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में	 जोन राजस्व ग्राम खसरा संख्या रकवा जोन-1 डोलिया 124 का पार्ट 21693.78 वर्गमीटर श्री कालुराम पुत्र श्री जेताराम जरिये रजिस्टर्ड आम-मुख्त्यार श्री कालुराम पुत्र श्री जेताराम जरिये रजिस्टर्ड आम-मुख्त्यार श्री कालुराम पुत्र श्री जेताराम जरिये रजिस्टर्ड आम-मुख्त्यार श्री पारस मल भण्डारी राजस्व ग्राम वासनी डोलिया के खसरा संख्या 124 का पार्ट र आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन वावत्। समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया निम्नलिखित पूर्ति उपरान्त संशोधित मानचित्र प्राप्त कर प्रकरण किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. आवेदित भूमि के पश्चिम में स्थित राजस्व मार्ग को 24 म संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग र अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के विन्दु संख्या 01 अकार्यवाही जोन स्तर पर की जावें। 2. आवेदित क्षेत्रफल अनुसार नियमानुसार प्रकिया अपनाते जोन स्तर पर जारी किया जावें। 3. आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित योजना के 					

एजेण्डा संख्या ०५ :--

बैठक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन				
दिनांक									
27.02.2023	जोन–1	डोलिया	124 (पार्ट),	57486.23	फार्म हाउस योजना				
			125	वर्गगज					
				(48065.80					
				वर्गमीटर)	·				
आवेदक	श्री कालुर	ाम पुत्र श्री जेता	राम जरिये रजिस्ट	र्ड आम–मुख्त्यार	श्री दिनेश भण्डारी पुत्र स्व.				
	श्री पारस	श्री पारस मल भण्डारी							
विषयः–	राजस्व ग्राम डोलिया के खसरा संख्या 124 (पार्ट), 125 रकवा 57486.23 वर्गगज								
	(48065.80 वर्गमीटर)में फार्म हाउस योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन वावत्।								
निर्णयः–	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श								
	निम्नलिखि	त पूर्ति उपरान्त	संशोधित मानचित्र	प्राप्त कर प्रकरण	को आगामी बैठक में प्रस्तुत				
	किये जाने	का निर्णय लिय	ा गयाः–						
	1. आवे	दित भूमि के पश्चि	रेचम एवं दक्षिण में	रिथत राजस्व मा	गों को 24 मीटर निर्धारित				
					न विभाग राजस्थान सरकार				
	द्वारा	जारी अधिसूचन	ना दिनांक 10.08.1	2020 के बिन्दु स	ंख्या ०१ अनुसार आपत्ति				
			ो जोन स्तर पर क						
	2. आवे	दित क्षेत्रफल अन्	सार नियमानुसार	प्रकिया अपनाते संग	शोधित 90–क आदेश जोन				
		पर जारी कियाँ							
	3. आवे	दित भूमि के पशि	रेचम दिशा में रिथ	त योजना के अनु	मोदन बाबत् टिप्पणी जोन				
	स्तर से प्राप्त की जावें।								

एजेण्डा संख्या ०६ :--

answeighter and a start of the start of the

•

:.

एजण्डा संख्या									
बैठक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन				
दिनांक									
27.02.2023	जोन–1	बनाड	290/15	02.10.00 बीघा	आवासीय योजना				
आवेदक		श्री सुरेन्द्र पारीक पुत्र श्री बुधराज पारीक							
विषयः–				5 रकबा 02.10.00	बीघा में आवासीय योजना				
		अनुमोदन बाबत			2				
निर्णयः–					गया। बाद विचार–विमर्श				
					ाने का निर्णय लिया गयाः—				
	१. आवे	दित भूमि को उ	पलब्ध पहुँच मार्ग	की चौडाई जोनल	डवलपमेंट प्लान अनुसार				
					में आ रही प्रार्थी की भूमि				
	सडव	क मार्गाधिकार हे	तु आरक्षित रखी ज	जावें।					
	2. निय	मानुसार आन्तरिक	क विकास कार्यो	की एवज् में विक	य योग्य क्षेत्रफल के 12.5				
	प्रतिः	रात क्षेत्रफल के	बराबर भूखण्ड रह	न में रखे जाने है	जिनको आन्तरिक विकास				
	कार्य	पूर्ण होने की सु	निश्चितता के उप	रान्त रहन मुक्त वि	केया जावेगा।				
	३. मुख्य	मंत्री जन आवार	स योजना 2015 व	के प्रावधानुसार नि	यमानुसार राशि जोन स्तर				
2011		त्री जावें।	`						
	4. उक्त	ं प्रस्तावित भूमि	से सम्बन्धित 3	गन्य राजस्व प्रशा	सनिक, वाद अवाप्ति, एवं				
	मालि	काना हक की र	नमस्त जिम्मेदारी प्र	गथी की स्वयं की	होगी। प्रार्थी से इस बाबत्				
A STOR	र्धापश्च	– पत्र लिया जावे	ं कि प्रश्नगत भूमि	्पर कोई विवाद न	ही है और ना ही न्यायालय				
	में क	ोई विवाद लम्बित	त है। इस बाबत् ज	ोन स्तर पर शपथ	-पत्र लेकर ही पट्टा जारी				
	किय	ा जावें।							
	5. प्रस्ता	वित भूमि पर वि	नेमोण कार्य करव	ाने से पूर्व प्रचलि	त भवन विनियम अनुसार				
	जोध	पर विकास प्राधि	करण से भवन मार	नचित्र अनमोदित व	हरवाने होंगे।				
	6. राज्य	सरकार द्वारा (देनाक 10.08.2020) को जारी अधिस	्यना अनुसार नियमानुसार				
	मोबाः	ईल टॉवर एवं ठ	सि कचरा संग्रहण	स्थल का प्रावधान	ा किया जावें।				

for

C/Users/Pc/Dropbox/Actp Sir/Layout Plan Meeting Minutes 27-02-2023 Zone 1 Updated 28-02-23 Docx

एजेण्डा संख्या बैठक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकवा	प्रयोजन	
दिनांक 27.02.2023	जोन–1	बनाड	566/3/4,	03.00.00 वीघा	व्यवसायिक (दुकान)	
			566/3/5	में से 02.12.10 वीघा		
आवेदक	श्री कशाल	। नचन्द पुत्र श्री मो	हनराम, श्री जब्बर	सिंह पुत्र श्री मोहन	राम	
विषयः—	राजरत गाम बनाड के खसरा संख्या 566/3/4, 566/3/5 रकवी 03.00.00 बाधी म					
	र्ज 02.42.40 तीमा में व्यवसायिक (दकान) प्रयोजनार्थ अनुमोदन वावत्।				। वावत्।	
निर्णयः–	राणित राग प्रतेपरा त प्रतावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विभ					
	ित्रन्निसित पत्ने के साथ ले–आजट प्लान अनमोदित किये जाने का निणय लिया गया-					
	 आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना से 40 फोट पहुंच माग उपलब्ध हो रहा ह जिसकी सनिषिचतता जोन रतर पर की जावें। 					
	2. आवे	 आवेदित भूमि के लगती हुई जोनल डवलपमेंट प्लान की 18 मीटर सडक गुजर रही है जिसे ले–आउट प्लान पर अंकित किया जावें। 				
	है रि					
	 राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के क में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जा कर ले–आउट प्लान जारी किय 					
	जावे	। र फानातिन भरि	। चे सम्बन्धित अ	न्य राजस्व प्रशान	सनिक, वाद, अवाप्ति एवं	
	5. उक्त मानि	। प्रस्तावित नूर रकाना दक की र	गर्थी की स्वयं की	होगी। प्रार्थी से इस बाबत्		
	े जात	ग–पत्र लिया जावे	गें कि प्रश्नगत भमि	पर कोई विवाद न	ही है और ना ही न्यायालय	
	में क	र्जेई विवाद लम्बित	त है। इस बाबत ज	ोन स्तर पर शपथ-	-पत्र लेकर ही पट्टा जारी	
	किय	ा जावें।				
	 5. प्रस्त 	ावित भूमि पर वि	नेर्माण कार्य करव	ाने से पूर्व प्रचलि	त भवन विनियम अनुसार	

2

The second

6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या ०८ :--

TI

एजण्ड। संख्या ०४ :						
बैठक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन	
दिनांक			*			
27.02.2023	जोन–1	बनाड	347/2	रकबा 15.00.	आवासीय योजना	
21.02.2023	SIL-1	4110	011/2	00 बीघा,		
				आवेदित रकबा		
				<u>07.10.00</u> बीघा		
आवेदक	श्री भंवरलाल, श्री राणाराम, श्री मुन्नाराम, श्री तेजाराम, पि. श्री बुद्वाराम एवं श्रीमती चुकीदेवी					
	बेवा बुद्वाराम					
विषयः—	राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 347 / 2 रकबा रकबा 15.00.00 बीघा, आवेदित रकबा					
	07.10.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।					
निर्णयः–	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श					
	निम्नलिखित शर्तो के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:					
	1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना से 40 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है					
-	जिसकी सूनिषिचतता जोन स्तर पर की जावें।					
	2. भूखण्ड संख्या 16–19 के सामने प्रस्तावित सड़क का मार्गाधिकार 40' रखा जा कर					
A CONTRACT OF	संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावे।					
	3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विकय योग्य क्षेत्रफल के 12.5					
	प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास					
	कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।					
1.24 3. 3	4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर					
	पर त	ली जावें।	ź			

5.	उक्त प्रस्तावित भूमि सें सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं
	मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की खयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत
	शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय
	में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पटटा जारी
	किया जावें।

- 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
 7. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोवाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें।

एजेण्डा संख्या ०९ :--

•

रुजन्दा राज्या					
बैठक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
दिनांक					
27.02.2023	जोन–1	वासनी वैन्दा	54/1/3	07.10.00 वीघा	आवासीय योजना
				में से 06.01.10	
				वीघा	
आवेदक	मैसर्स सि	ल्वर लाईन विल्ख	। इहोम प्रा.लि जरिये	श्री हर्षवर्धनसिंह ए	रत्र श्री करणसिंह
विषयः–	राजरच ग्राम वासनी वैन्दा के खसरा संख्या 54/1/3 रकवा 07.10.00 बांधी में से 06.				
	01 10 तीघा में आतासीय योजना पयोजनार्थ अनमोदन वावत				
निर्णयः–	समिति दारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नाट किया गया				
	कि विकासकर्ता टाग जनके स्वामित्व की भूमि जोजरी नदी के सहार जानल उवलपमट				
	्रिये के सम्मनित सम्बद्ध मही विश्वामी एवं विश्वजीकीर भे-पटटा की योजना न				
	सम्मिलित नहीं किया गया हैं, जबकि नियोजन की दृष्टि से उक्त क्षेत्र को भी योजना में				
	- मणिप्रिन किंगा जाना आोसित था।				
	ि रेज्यू जाजरा ने जगती हुगी पार्शी की भूमि यथा जाजरी नेदा के सहार				
	े रेस्ट न्यून्यपोंन में एक्तातिन सहक एवं वक्षारोपण पटटी तथा त्रिभुजाकार भू-५८८ का				
	े के निर्माल करने हैं। प्राणमित करने हा। प्राणमित आपदन जान राग ग				
	गान कर तटानसार 90-क के संशोधित आदेश उपरान्त नेवान योजना मानायत्र प्रारा पर				
	प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।				
	<u> Яч/(ч</u> ч				

एजेण्डा संख्या 10 :						
बैठक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	RAINA	
दिनांक					X	
	जोन–1	डांगियावास	261/5	04.00.00 बीघा	नॉन पाल्यूटेड	
27.02.2023	011-1		,		हैण्डीकाफ्ट	
					इण्डस्ट्रीज एकल भूखण्ड	
	0	र गज भी फीला	। र त्नी			
आवेदक	श्री प्रहलाद पुत्र श्री छीत्तर जी राजस्व ग्राम डांगियावास के खसरा संख्या 261 / 5 रकबा 04.00.00 बीघा में नॉन पाल्यूटेड					
विषयः—	राजस्व ग्राम डागियावास के खरारा संख्या 2017 5 रपना 04:00:00 पाया 1 11 1 10 हू					
	राजस्व ग्राम आगयापास के खरारा राज्य 2017 के जुमोदन बाबत्। हेण्डीकाफ्ट इण्डस्ट्रीजएकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।					
निर्णयः—						
141414						
	1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मांग की चाडाइ मास्टर डपलप्पट रही न अनुसार					
a a cara a c						
и с	मार्गाधिकार हेत आरक्षित रखी जाव। संडक मागाधिकार के परवार्ए 30 माटर गर्डरार					
-						
(pa ^{la} n fail an an	की वृक्षारोपण पट्टी रखी जावें।					
	 प्रार्थी द्वारा मिश्रित भू–उपयोग न गागपारिष्ठाटन ए ठाप्रमां २ २ २५२१ आवेदन किया गया है। अतः आस–पास भविष्य में होने वाले विकास के दृष्टिगत आवेदन किया गया है। अतः आस–पास भविष्य में होने वाले विकास के दृष्टिगत 					
	राजभा हेत पार्थी की भूमि में न्यूनतमें 9 माटर का सुरक्षा वर्षर संटेवय के स					
	सुरेवा छेरु भा प् रखा जाना सुनिश्चित किया जावें।					
	रखा	on gritter				



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

क्रमांक / एफ–49 / 90–क / जोन–01 / 2024–25 / दिनांक :– Signed Date प्रेषित :–

श्री भंवरलाल, राणाराम, मन्नाराम, तेजाराम पुत्रान् स्व. श्री बुद्धाराम, श्रीमती चुकी देवी पत्नी स्व. श्री बुद्धाराम जातियान् भील, निवासीगण — भीलों का बास, बनाछ, जोधपुर

विषय :— निजी खातेदारी योजना ग्राम बनाड़ के खसरा सं. 347/2 (नवीन खसरा सं. 347/5) में 12.50 प्रतिशत रहन रखे गये भूखण्डों को रहनमुक्त करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्राधिकरण द्वारा आपकी खातेदारी भूमि ग्राम बनाड़ के खसरा सं. 347 / 2 (नवीन खसरा सं. 347 / 5), कुल रकबा 15 बीघा में से 07 बीघा 10 बिस्वा का 90—क का आदेश दिनांक 09 / 01 / 2023 को जारी किया गया, जिसका ले—आउट प्लान प्राधिकरण की ले—आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 27 / 02 / 2023 द्वारा अनुमोदित किया गया है।

उक्त कॉलोनी में आपके द्वारा 12.50 प्रतिशत भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में भूखण्ड संख्या 05, 16, 19, 20, 33, 48, 61, 67, 68 कुल भूखण्ड 09, कुल क्षेत्रफल 1073.61 वर्गगज रहन रखे गये थे। प्राधिकरण स्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट की अनुशंषा पर आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण करने पर रहनमुक्त किये जाते है।

> उपायुक्त (जोन–01) जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर

8

Signature valid Digitally signed by Mu Designation Deputy Date: 2025.01.29/17.0 Reason: Approver sh Bareth Commissioner :01:21 IST

RajKaj Ref No.: 13276202